उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
कक्ष संख्या 1025, 10वॉं तल, शक्ति भवन विस्तार
14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001
CIN: U40101UP1980SGC005065

पत्रांकः --उनिलि/उप्रराविउसेआ/यू-34/यूपीआरवीयूएसए/2018 दिनॉकः 31 मई, 2019

मैसर्स गौरव एडवर्टाइजिंग एण्ड मार्केटिंग,
रूम नं.0-6, द्वितीय तल,
1/280, विकम खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

महोदय,

कृपया संलग्न प्रेस विज्ञप्ति भारत वर्ष के प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्रों में दिनॉक **02.06.2019 अथवा 03.06.2019 अथवा यथाशीघ्र** तक के अंक में कम से कम स्थान में **8 से 10** प्वाइंट टाइप में प्रकाशित करने की व्यवस्था करें। हैडिंग, नीचे का नाम व पता यथा सम्भव एक ही लाइन में रनिंग मैटर के रूप में कम से कम स्थान में प्रकाशित करें।

2. प्रकाशन के बाद प्रेस विज्ञप्ति की प्रथम मूल प्रति प्रकाशन हेतु प्रेषित सामग्री की मूल प्रति के साथ, विज्ञापन शुल्क का बीजक (तीन प्रतियों में) अग्रिम भुगतान प्राप्ति रसीदी टिकट सहित प्रेस विज्ञप्ति की सम्पूर्ण वाउचर प्रतियॉं संलग्न करते हुए भुगतान हेतु " कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ" को प्रेषित करें। प्रेस विज्ञप्ति आदेश की प्रथम प्रति के स्थान पर फोटो प्रति प्रेषित करने पर सत्यापन/भुगतान सम्भव न होगा।

3. संलग्न संक्षिप्त प्रेस विज्ञप्ति हिन्दी के दैनिक समाचार पत्र-**अमर उजाला** (अलीगढ, मेरठ एवं झॉसी), **दैनिक जागरण** (लखनऊ, कानपुर एवं वाराणसी), **हिन्दुस्तान** (आगरा, इलाहाबाद एवं गोरखपुर) तथा अंग्रेजी के दैनिक समाचार पत्र **दि टाइम्स ऑफ इण्डिया (अंग्रेजी)** (लखनऊ एवं नई दिल्ली), में अल्पतम समय में प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।

4. **प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित होते ही विलम्बतम् एक सप्ताह के अन्दर प्रकाशित विज्ञापन की एक कटिंग अधोहस्ताक्षरी को सूचनार्थ अवश्य भेज दी जाये अन्यथा सम्बन्धित बीजक का सत्यापन/भुगतान नहीं किया जायेगा।**

5. यदि आपको सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, भारत सरकार द्वारा विज्ञापन दरें स्वीकृत न हों तो कृपया विज्ञापन प्रकाशित न करें तथा अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब इस आशय की सूचना देने का कष्ट करें। प्रेस विज्ञप्ति के अंत में सबसे छोटे टाइप में "**राष्ट्र हित में बिजली बचायें** " का नारा तथा इस प्रेस विज्ञप्ति आदेश की संख्या व दिनॉक अवश्य प्रकाशित करें।

6. उक्त निर्देशों के विपरीत तथा गलत अथवा भद्दे ढंग से प्रकाशित की गयी प्रेस विज्ञप्ति में निगम द्वारा नियमानुसार आवश्यक कटौती की जा सकती है अथवा सम्पूर्ण बीजक का भुगतान रोका/निरस्त किया जा सकता है।

संलग्नकः प्रेस विज्ञप्ति सामग्री-- प्रथम एवं द्वितीय प्रति।

(दिलीप कुमार ओझा)
सचिव

पत्रांकः 119 -उनिलि/उप्रराविउसेआ/यू-34/यूपीआरवीयूएसए/2018, तद्दिनॉकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन/परियोजना एवं वाणिज्य/तकनीकी/वित्त), उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ ऑफीसर/निजी सचिव।
3. अधिशासी निदेशक (वित्त), उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (मा0सं0), उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. कम्पनी सचिव, उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), उ0नि0लि0, चतुर्थ तल, टी0सी0/46वीं विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, को इस आशय से प्रेषित कि कृपया संलग्न महत्वपूर्ण सूचना को निगम वेबसाइट पर आज ही अवश्यमेव अपलोड कराने एवं उ0 प्र0 शासन के सेवायोजन विभाग के वेबपोर्टल पर प्रदर्शित कराने की व्यवस्था करें।

(दिलीप कुमार ओझा)
सचिव

P letter-1-131